संवाद दर्शन

सहयोग राशि-5/-

विक्रम संवत : 2083 | वर्ष : 2026

हिन्दी पाक्षिक

अंक : सितम्बर (प्रथम)

राष्ट्र निर्माण का मौन संवाहक

बंगलदेशी घुसपैठियों की वापसी से फट रहा है कलेजा

बॉर्डर पर अवैध बंगलदेशी घुसपैठियों की भीड़ देख कर कथित फ्रॉड सेक्युलर बुद्धिजीवियों का कलेजा फट रहा है। उन्हें निरीह व गरीब बताकर घड़ियाली आंसू बहाये जा रहे हैं। तरह- तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं...बेचारे कमाने-खाने आये थे, किसी का क्या बिगाड़ रहे थे...आदि-आदि ।कुछ समय पहले अनेक अवैध रूप से गए भारतीयों को अमरीका ने हाथ में हथकड़ी लगा कर डिपोर्ट किया था। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई तो देश के कथित बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार पर जम कर सवाल उठाए थे।...यह ठीक है कि आज भारत के 1.9 करोड़ लोग दुनिया के विभिन्न देशों में रोजी-रोजगार के लिए रहते हैं। ये सभी एनआईआर कहे जाते हैं। ये सभी वैध भारतीय अप्रवासी हैं। जिन देशों में वे गए हैं, वहां के नियम-कानून व वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर वहां रहते हैं।...बंगलादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम तथा म्यामांर के रोहिंग्या चोरी-छुपे अवैध रूप से बाड़ के नीचे सेंध लगाकर या आंख बचा कर नदी-नाले को रात के अंधेरे में पार कर भारत की सीमा में घुसे हैं। इनकी वजह से भारत के सीमावर्ती 300 जिलों की न केवल डेमोग्राफी चेंच हुई है बल्कि वहां के मूल वासियों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। अपराध का ग्राफ इन सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। इनकी वजह से लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद के जरिए धर्मान्तरण की गति तेज हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा पर संकट बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, यूपी के अनेक शहरों सहित दिल्ली के शाहीनबाग की घटनाओं में इन अवैध घुसपैठियों की सीधी संलिप्तता प्रमाणित है। बेहुदा व बेतुके

तर्कों के आधार पर अवैध घुसपैठियों के प्रति हमदर्दी जताना, उन्हें निरीह व गरीब बताना प्रगतिशील बनने का मानसिक दिवालियापन से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने घर के दरवाजे या सीढ़ी पर बगल का कोई गरीब पड़ोसी या भिखारी आ कर बैठ जाये तो उसे दुरदुराते हुए भगाने में तनिक भी देर नहीं करने वाले की सारी प्रगतिशीलता और क्रांतिकारिता केवल देश को खोखला करने वाले बयानों, लेखनों तक क्यों सीमित हो जाती है? ऐसे क्रांतिकारी जब अपने घर में एक नौकर या नौकरानी रखेंगे तो उससे आधारकार्ड मांगेंगे, अगर कोई किरायेदार रखना हो तो स्थानीय थाना की पुलिस से वेरिफिकेशन कराएंगे...मगर बंगलदेशी और रोहिंग्या धुसपैठियों के प्रति सहानुभूति जताएंगे...क्योंकि वे इनके वोटबैंक बन गए थे, इनके बल पर सत्ता का नंगा खेल चल रहा था। इन्हीं के बल पर 'खेला होबो' का जुमला उछाला जा रहा था।ऐसे तमाम विचारों को धिक्कार हैं जो देश की कीमत पर उगले-बकोरे जा रहे हैं। फ्रॉड सेक्युलरिज्म का यह ढोंग अब बेनकाब हो चुका है। देश-तोड़क बौद्धिकता अब कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है।

संवाद दर्शन
हिन्दी पाक्षिक

सलाहकार संपादक
देवेन्द्र मिश्र

संपादक
संजीव कुमार

प्रकाशक एवं मुद्रक
बिमल कुमार जैन

प्रिंटर्स
लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस,
शशि काम्प्लेक्स,
नाला रोड, कदमकुआँ
पटना

पता
विश्व संवाद केंद्र
104-105, सूर्या अपार्टमेंट,
फ्रेजर रोड, पटना - 800 001
संपर्क = 0612 2216048

ई-मेल- vskpatna@gmail.com
vskbihar@gmail.com
वेबसाइट- www.vskbihar.com

अनुक्रमणिका

पाठकों के नाम पत्र

प्रिय पाठक,
सादर नमस्कार।
आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। विदित हो कि 'संवाद दर्शन' पत्रिका राष्ट्र तथा प्रदेश की घटनाओं और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रकाशित हो रही है। आपका स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहता है। पत्रिका द्वारा सदस्यों/ पाठकों के नाम, पता, दूरभाष तथा ई—मेल में सुधार के लिए योजना चलायी जा रही है। संवाद दर्शन परिवार आशा करता है कि पत्रिका आप तक पहुंच रही होगी। यदि नहीं पहुंच रही है तो आप हमारे दूरभाष पर संपर्क कर या हमारे पते पर पत्र लिखकर अपने पता का सुधार करवा सकते हैं।
शेष शुभ!

जनसंख्या असन्तुलन के भयावह संकट

किसी भी स्थान की जनसंख्या उस स्थान की संस्कृति और सभ्यतागत पहचान की द्योतक होती है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या की विविधता और विशालता उसे विशेषीकृत अध्ययन के योग्य बनाती है। साल 1947 में, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, विभाजन की भयानक विभीषिका ने सबको यह विश्वास करने के लिए विवश कर दिया कि जहाँ भी मुसलमान बहुसंख्यक हो गए, अंततः उन स्थानों को भारत से अलग करने का निर्णय लेना पड़ा।जनसांख्यिकी के आंकड़े वर्तमान और भविष्य के संकटों को एक नग्न सत्य के रूप में प्रस्तुत करत है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य मा.हरेंद्र प्रताप की पुस्तक ' सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े' कुछ ऐसे ही तथ्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खण्ड एक चेतावनी के तौर पर है। पुस्तक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1961 से 2011 तक हुई जनगणनाओं में चिंताजनक जनसांख्यिकी परिवर्तन देखने को मिले हैं। कई जिलों में, जिनके प्रखण्डवार आँकड़े प्रदत्त किए गए हैं, मुस्लिम जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। इस वृद्धि में जन्म दर के साथ घुसपैठ के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।प. बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के कुछ जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इस्लामिक गलियारे की आशंका को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान कर देती है। झारखंड के लगभग एक चौथाई जिले ऐसे हैं, जहाँ हिन्दू अल्पमत में आ गए हैं। हालांकि समस्या मात्र मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है अपितु ईसाई जनसंख्या और मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव भी भारत में

जनसांख्यिकी परिवर्तन में नकारात्मक रूप से उत्तरदायी है। पूर्वोत्तर भारत समेत सभी जनजातीय इलाकों में ईसाई आक्रमण तीव्र हुआ है। खण्ड 'ग' स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि किस प्रकार ईसाई भारत विभाजन की अपनी योजना पर कार्यरत हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय जैसे राज्यों में जहाँ अन्य समुदायों की संख्या में कमी आई है, वहीं ईसाई जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है।जनगणना के इस आसंतुलन का सबसे वीभत्स परिणाम हिंदुओं के पलायन के रूप में देखा जा सकता है। प. बंगाल और महाराष्ट्र के अनेक इलाके, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद जीते-जागते हिन्दू पलायन के उदाहरण हैं , जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हिंदुओं को अपने घर, व्यवसाय इत्यादि का त्याग करना पड़ा है। वहीं ईसाई बहुलता के कारण मिजोरम से हिंदुओं को भागने के लिए विवश होना पड़ा है।जहां हम जनसांख्यिकी लाभ की बात करते हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत की जनसंख्या उसकी ताकत है लेकिन प्रस्तुत आँकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे षड्यन्त्र की है जहाँ दो समुदाय सुनियोजित तरीके से अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हिन्दू प्रखण्डवार, जिलावार और राज्यवार सिमटता जा रहा है।

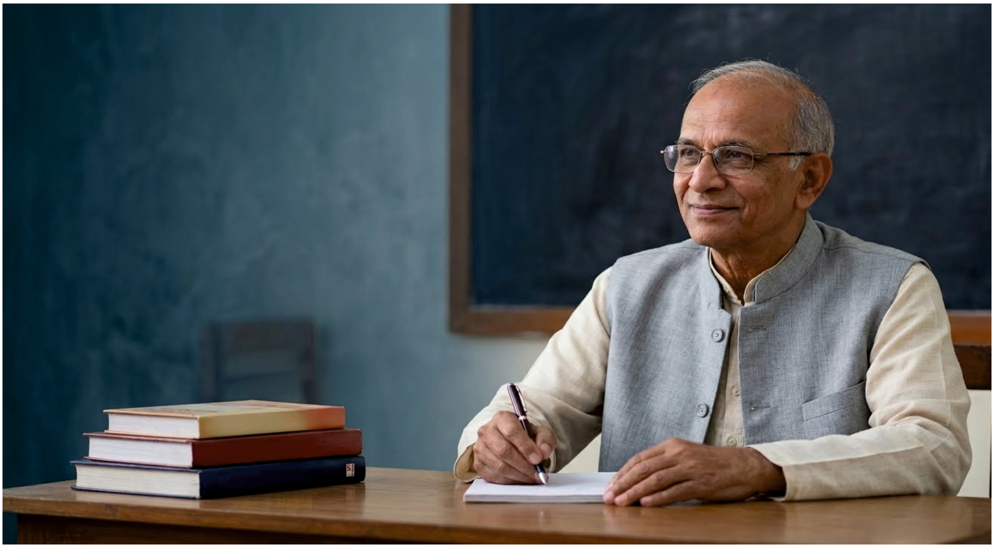

आधुनिक युग में शिक्षक और नई चुनौतियाँ

शिक्षा किसी भी विकसित समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। यह वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर मनुष्य को तार्किक, संवेदनशील और जागरूक बनाता है। इस पूरी जीवनदायिनी प्रक्रिया के केंद्र में जो व्यक्तित्व खड़ा होता है, उसे हम 'शिक्षक' या 'गुरु' कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को पूरा देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और अद्वितीय शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाता है। यह दिन केवल एक औपचारिक उत्सव या बधाई देने का अवसर नहीं है, बल्कि यह समय है शिक्षा की रीढ़ यानी हमारे शिक्षकों के योगदान का मूल्यांकन करने और बदलते दौर में उनकी बदलती भूमिका को समझने का। भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है। "गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु..." जैसे श्लोक केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी सभ्यता ने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च शक्ति माना है और उस ज्ञान को देने वाले को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया है।प्राचीन काल के गुरुकुल से लेकर आधुनिक काल के डिजिटल क्लासरूम तक, शिक्षा की व्यवस्था और पद्धतियों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि— "देश में केवल उन्हीं लोगों को शिक्षक होना चाहिए, जो सबसे अधिक बुद्धिमान और ज्ञान के प्रति समर्पित हों।" जब उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय यदि 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाए, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। तब से यह दिन देश के हर कोने में शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व बन गया।

आज हम जिस 21वीं सदी के उत्तरार्ध में जी रहे हैं, वह सूचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक की सदी है। तकनीक के इस अभूतपूर्व विस्तार ने शिक्षक की पारंपरिक भूमिका को पूरी तरह से चुनौती दी है। कुछ दशक पहले तक शिक्षक ज्ञान का एकमात्र और

अंतिम स्रोत हुआ करते थे, लेकिन आज इंटरनेट और सर्च इंजन के दौर में हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है।ऐसे में एक गंभीर सवाल उठता है: क्या आधुनिक युग में शिक्षक की प्रासंगिकता कम हो गई है?इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है— नहीं। बल्कि आज के समय में शिक्षक की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट या एआई आपको 'जानकारी' (Information) दे सकते हैं, लेकिन उस जानकारी को 'ज्ञान' (Knowledge) और 'विवेक' (Wisdom) में कैसे बदलना है, यह केवल एक शिक्षक ही सिखा सकता है। कंप्यूटर आपको यह बता सकता है कि परमाणु ऊर्जा कैसे काम करती है, लेकिन उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए या विनाश के लिए, यह नैतिक समझ केवल एक शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक का काम अब सिर्फ यह बताना नहीं है कि "क्या पढ़ना है", बल्कि यह सिखाना है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के महासागर में से "क्या सही है और क्या गलत"।

आज के शिक्षकों के सामने कई तरह की नई और जटिल चुनौतियाँ हैं:मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन: आधुनिक जीवनशैली, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया की लत के कारण छात्रों में अवसाद और अकेलेपन की समस्या बढ़ी है। शिक्षक को अब केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक काउंसलर और दोस्त की भूमिका भी निभानी पड़ रही है।नैतिक मूल्यों का ह्रास: वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक रूप से सफल युवा तैयार करने की होड़ में लगी है। ऐसे में युवाओं को एक अच्छा, संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाना शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।डिजिटल विभाजन (Digital Divide): देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों की असमानता को पाटना और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना।आज गुरु और शिष्य का रिश्ता डराने या डरने का नहीं, बल्कि आपसी संवाद (Dialogue) और सम्मान का बन चुका है। आधुनिक क्लासरूम में शिक्षक छात्रों को गलतियाँ करने और सवाल उठाने की आजादी देता है, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है।

किसी भी देश का भविष्य उसकी फैक्ट्रियों, सड़कों या बड़ी इमारतों से तय नहीं होता, बल्कि उसकी कक्षाओं (Classrooms) में आकार लेता है। आज क्लासरूम में बैठा एक मासूम बच्चा कल का वैज्ञानिक, डॉक्टर, किसान, सैनिक या राजनेता बनेगा। इसलिए, शिक्षक सीधे तौर पर राष्ट्र के चरित्र और भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है, जो कच्ची मिट्टी जैसे बच्चों को तराशकर उन्हें एक सुंदर आकार देते हैं।

शिक्षक दिवस पर केवल स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम करना या सोशल मीडिया पर बधाई संदेश भेज देना काफी नहीं है। एक समाज के रूप में हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपने शिक्षकों को वह सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति दे पा रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं? कई बार शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों (जैसे चुनावी ड्यूटी, विभिन्न सर्वे आदि) में इतना उलझा दिया जाता है कि उनका मुख्य काम प्रभावित होता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों का पूरा ध्यान केवल और केवल शिक्षण और अनुसंधान पर रहे।आइए, इस शिक्षक दिवस पर हम सब मिलकर देश के उन लाखों शिक्षकों को नमन करें, जो बिना किसी प्रचार या चकाचौंध के, देश के सुदूर गांवों से लेकर महानगरों तक ज्ञान का दीया जलाए हुए हैं। वे ही हमारे राष्ट्र के असली और सच्चे शिल्पकार हैं।

जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता पर्यटन

विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1980 में शुरु किया गया जो प्रत्येक वर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाता है। यह विशेष दिन इसलिये चुना गया क्योंकि इस दिन 1970 में यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. के कानून प्रभाव में आये थे जिसे विश्व पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, इसका लक्ष्य विश्व पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के लोगों को जागरूक करना है। पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक और नए स्थलों की वजह से पर्यटन दुनियाभर में लगातार बढ़ने वाला और विकासशील आर्थिक क्षेत्र बन गया है। भारत पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध एवं व्यापक संभावनाओं वाला देश है।

भारत अपनी सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों, प्रकृति की मनोरमा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में विभिन्न संप्रदाय-धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक धरोहर के कारण भारत दुनिया के प्रमुख पर्यटन देशों में शुमार होता है। यहां के हर राज्य की अलौकिक और विलक्षण विशिष्टताएं हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन पर्यटकों के लिए भारत-यात्रा का विशेष आकर्षण है जो शांत, जादुई, सौंदर्य और रोमांच की तलाश में रहते हैं। इस देश की इन विविधताओं ने ही अनेक यायावरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये सितंबर 2002 में 'अतुल्य भारत' नाम से एक नया अभियान शुरू

किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना था। इस अभियान के तहत हिमालय, काश्मीर, वन्य जीव, योग और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान खींचा गया। देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए इस अभियान से पर्यटन की संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। जीवन की आपाधापी, भागदौड़ से हटकर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच जीवन के मायने ढूंढ़ने में यायावरी लोगों को सुखद अनुभव हुए हैं। पर्यटन से सत्य की खोज ने उन्हें अनूठे एवं विलक्षण ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों से साक्षात्कार करवाया है।

भारत विश्व के पाँच शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। विश्व पर्यटन संगठन और वल्र्ड टूरिज्म एण्ड ट्रैवल काउन्सिल तथा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है। भारत के प्रति विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने में यात्रा साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक यात्रा साहित्य की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन का 'मेरी तिब्बत यात्रा', डा. भगवतीशरण उपाध्याय का 'सागर की लहरों पर', कपूरचंद कुलिश का 'मैं देखता चला गया', धर्मवीर भारती का 'ढेले पर हिमालय' तथा नेहरू का 'आंखों देखा रूस', रामेश्वर टांटिया का 'विश्व यात्रा के संस्मरण', आचार्य तुलसी का यात्रा साहित्य की ही भांति पुखराज सेठिया की पुस्तक 'आओ घूमे अपना देश' आदि मार्मिक और रोचक यात्रा-वृतांत है। यह यात्रा साहित्य इतनी सरल शैली में यात्रा का इतिहास प्रस्तुत करता है कि पाठक को ऐसा लगता है मानो वह इन लेखकों के साथ ही यात्रायित हो रहा है।

जिस तरह हम भारत को एक गुलदस्ते की भांति अनुभव करते हैं, लगभग वैसा ही विविधरूपी, बहुरंगी और बहुआयामी गुलदस्ता है- भारत का पर्यटन संसार। एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प सुसज्जित हैं। किसी फूल में कश्मीर की लालिमा है तो किसी में कामरूप का जादू। कोई फूल पंजाब की कली संजोए हैं, तो किसी में तमिलनाडु की किसी श्यामा का तरन्नुम। उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों के पर्यटन स्थलों को देखना एक सुखद एवं अद्भुत अनुभूति का अहसास है। यह भारत पल-पल परिवर्तित, नितनूतन, बहुआयामी और इन्द्रजाल की हद तक चमत्कारी यथार्थ से परिपूर्ण है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकारें पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये समय-समय पर अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है। 'पैलेस ऑन व्हील्स' ऐसा ही एक उपक्रम है, जिसे देश की शाही सैलानी रेलगाड़ी का तीसरा हॉस्पिटेलिटी इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का यह पहियों पर राजमहल दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भारत का नाम रोशन करने वाला माना गया है। अब एक और पैलेस ऑन व्हील्स शुरू किए जाने की योजना है। इसमें पर्यटकों के लिए पहली से भी ज्यादा सुख-सुविधाएं होंगी।

भारत में केवल गोवा, केरल, राजस्थान, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में ही पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को भी अच्छा लाभ पहुँचा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 6.5 मिलियन पर्यटक गए थे। यह आंकड़ा राज्य की कुल आबादी के लगभग बराबर बैठता है। इन पर्यटकों में से 2.04 लाख पर्यटक विदेशी थे। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रदेश ने अपेक्षा से कहीं अधिक सफल प्रदर्शन किया। विश्व पर्यटन संगठन ने भारतीय पर्यटन को सर्वाधिक तेजी से यानि 8.8 फीसदी

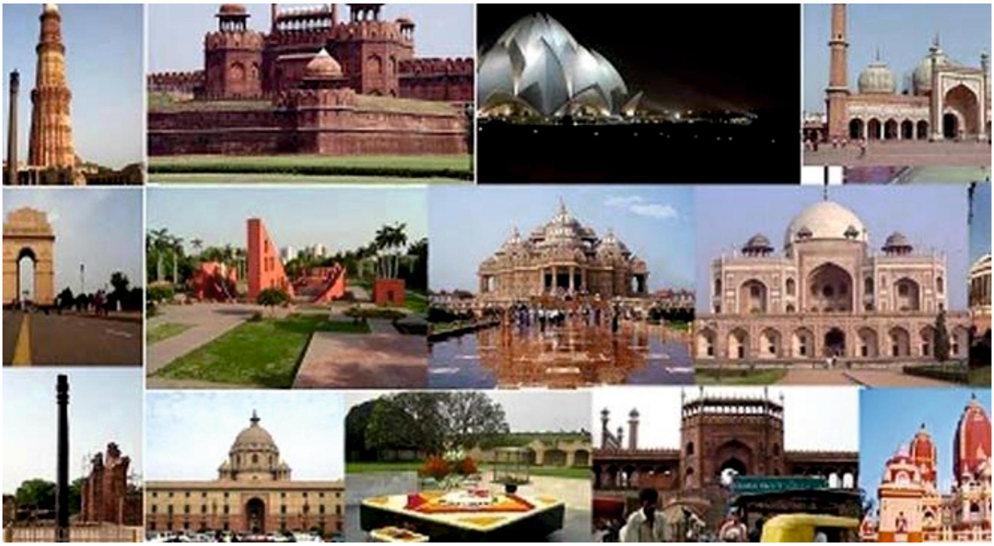

वार्षिक की दर से विकसित हो रहे उद्योग के रूप में घोषित किया है। पर्यटन देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। 2004 में पर्यटन से 21 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की आय हुई। देश की कुल श्रम शक्ति में से 6 प्रतिशत को पर्यटन में रोजगार मिला हुआ है। पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

भारत के विशाल तथा खूबसूरत तटीय क्षेत्र, अछूते वन, शान्त द्वीप समूह, वास्तुकला की प्राचीन, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्परा, रंगमंच तथा कलाकेन्द्र पश्चिम के पर्यटकों के लिए खूबसूरत आकर्षण के केन्द्र बनते रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के प्रति आत्मीयता दर्शाने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम अतिथि देवो भवः शुरू किया गया है। विदेशी पर्यटक दूसरे देशों में भी घूमते हैं लेकिन भारत में पर्यटकों को अपनेपन की अनुभूति होती है, इसीलिए वे जहां भी जाते हैं न केवल उन जगह के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देखते हैं बल्कि वहां के लोगों के साथ, वहां के खान-पान के साथ, वहां के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ, वहां के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, वहां की लोकसंस्कृति, कला एवं संगीत के साथ एकाकार होकर उन्हें जो अनुभूति होता है, वही भारतीय पर्यटन के आकर्षण का बड़ा कारण है। उनके लिये महत्वपूर्ण है उनका भारत भर में भ्रमण और अपनी अक्षत जिज्ञासा और अखंड पिपासा के साथ भारत को यहां से वहां तक घूमकर देख लेना। इन विदेशी एवं देश के सैलानियों ने उस मानक दृष्टि को प्राप्त किया है, जो भारत की सिर्फ छापों को न ग्रहण करने, बल्कि उसकी समग्र विविधताओं, नित नवीनताओं और अंतर्विरोधों के बीच से उस बिन्दु को ढूंढ़ निकालने की दृष्टि, जिससे इस बहुरूपी भारत को उसके बहुआयामी और निहंग वास्तविक रूप में देखा जा सके और ऊबड़-खाबड़ अनगढ़ता की परतों में छिपी सुंदरता को उद्घाटित किया जा सके। संभवतः इसी कारण भारत का पर्यटन दुनिया से भिन्न, अलौकिक एवं अद्भुत है।

बच्चों का सही खान-पान: उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की गारंटी

विकसित भारत का स्वप्न केवल आधुनिक इमारतों, तेज अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं से पूरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं। यदि बचपन स्वस्थ, संस्कारित, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। यदि बचपन ही अस्वस्थ, मोटापे, मधुमेह, कुपोषण और गलत खान-पान की आदतों से घिर जाए, तो विकास की पूरी अवधारणा खोखली सिद्ध होने लगती है। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों और उनके आसपास जंक फूड की बिक्री, वितरण तथा प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इसी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व का गंभीर संदेश है। यह स्वीकार करने का साहसिक प्रयास है कि बच्चों की सेहत बाजार के मुनाफे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

आज सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि बच्चे भोजन कम खा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे पोषण कम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक खा रहे हैं। रंग-बिरंगे पैकेट, आकर्षक विज्ञापन, कार्टून पात्रों की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया का प्रभाव और हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध फास्ट फूड ने बच्चों की स्वादेंद्रियों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि घर का पौष्टिक भोजन उन्हें फीका लगने लगा है। यह परिवर्तन केवल खान-पान की आदत का बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे

उनके शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध लगातार यह बताते रहे हैं कि अधिक वसा, अधिक नमक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ बच्चों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन तथा मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जो बीमारियां पहले चालीस-पचास वर्ष की आयु में दिखाई देती थीं, वे अब किशोरावस्था और बचपन में ही दस्तक देने लगी हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला संकट है।

बचपन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वाद नहीं, पोषण है। शरीर के विकास के साथ-साथ मस्तिष्क का तीव्र विकास भी बचपन में ही होता है। यदि इस अवस्था में बच्चों को संतुलित भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत जंक फूड क्षणिक स्वाद तो देता है, लेकिन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं देता। परिणामस्वरूप बच्चा बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु भीतर से अनेक पोषण संबंधी कमियों का शिकार बनने लगता है। दुर्भाग्य यह है कि जंक फूड आज केवल भोजन नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक व्यावसायिक संस्कृति बन चुका है। विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों के मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि आधुनिकता का अर्थ पैकेटबंद भोजन है। लोकप्रिय खिलाड़ी, फिल्मी कलाकार और डिजिटल प्रभावक अनजाने में बच्चों को ऐसे उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनका अत्यधिक सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में केवल परिवारों को दोष देना उचित नहीं होगा। सरकार, उद्योग, विद्यालय, अभिभावक और समाज-सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि जीवनशैली का निर्माण करने वाली प्रयोगशाला भी हैं। यदि स्कूल परिसर में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, विद्यालयों में रसोई बाग विकसित किए जाएं, बच्चों को स्वयं पौधे लगाने और प्राकृतिक भोजन के महत्व से जोड़ा जाए, तो यह परिवर्तन अधिक स्थायी होगा। केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वस्थ विकल्पों को स्वादिष्ट, आकर्षक और सुलभ बनाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत की पारंपरिक भोजन संस्कृति विश्व की सबसे संतुलित और वैज्ञानिक भोजन प्रणालियों में मानी जाती है। बाजरा, ज्वार, रागी, दालें, छाछ, दही, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, सब्जियां और घर का ताजा भोजन हमारे पूर्वजों की स्वस्थ जीवनशैली की पहचान रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता के नाम पर अपनी इस समृद्ध खाद्य संस्कृति को त्यागने के बजाय उसे नए स्वरूप में बच्चों तक पहुंचाएं। यदि विद्यालयों की कैंटीन में स्थानीय और पारंपरिक पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाएं, तो बच्चे धीरे-धीरे उसी स्वाद के अभ्यस्त हो सकते हैं।

यह भी समझना होगा कि जंक फूड का प्रश्न केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्वस्थ बचपन का अर्थ है भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च, कार्यक्षमता में कमी, उत्पादकता का ह्रास और राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव। आज यदि बच्चों के पोषण पर निवेश किया जाता है तो वह आने वाले दशकों में स्वस्थ, सक्षम और नवाचारी नागरिकों के रूप में अनेक गुना लाभ देता है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च को

व्यय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे लाभकारी निवेश माना जाना चाहिए। अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर में ही पैकेटबंद स्नैक्स, शीतल पेय और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नियमित रूप से उपलब्ध होंगे, तो बच्चे उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि परिवार स्वयं संतुलित भोजन करेगा, साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा विकसित करेगा और बच्चों को रसोई से जोड़कर भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहभागी बनाएगा, तो उनमें स्वस्थ भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि विकसित होगी।

सरकारों को भी केवल स्कूलों तक सीमित न रहकर व्यापक नीति अपनानी होगी। बच्चों को लक्षित करने वाले भ्रामक खाद्य विज्ञापनों पर नियंत्रण, पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी, अत्यधिक चीनी और नमक वाले उत्पादों की पहचान को सरल बनाना, खेल मैदानों की संख्या बढ़ाना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जागरूकता अभियान तथा स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी जैसे कदम समान रूप से आवश्यक हैं। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर साझा रणनीति बनाएं तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी होंगे। आज समय की मांग है कि जंक फूड के विरुद्ध संघर्ष को केवल प्रतिबंध तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे स्वस्थ जीवनशैली के राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप दिया जाए। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाया, उसी प्रकार स्वस्थ भोजन और पोषण को भी राष्ट्रीय जन-जागरण का विषय बनाया जाना चाहिए। बच्चों को यह समझाना होगा कि वास्तविक ऊर्जा किसी पैकेट में नहीं, बल्कि प्रकृति के निकट रहने वाले भोजन में छिपी है।

महाराष्ट्र सरकार का निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण

है क्योंकि उसने यह स्वीकार किया है कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी राजनीतिक या आर्थिक हित से बड़ा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी राज्य इस दिशा में समान साहस और दूरदर्शिता दिखाएं। विकसित भारत की आधारशिला स्मार्ट शहर नहीं, बल्कि स्वस्थ बच्चे हैं। यदि बचपन सुरक्षित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। यदि बच्चों की थाली पौष्टिक होगी तो राष्ट्र की प्रगति भी संतुलित होगी। आने वाले भारत की पहचान केवल तकनीकी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त, अनुशासित और जागरूक नई पीढ़ी से होगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकल्प यही होना चाहिए कि हर बच्चे को ऐसा वातावरण मिले, जहाँ स्वाद से पहले स्वास्थ्य, सुविधा से पहले पोषण और तात्कालिक आकर्षण से पहले दीर्घकालिक जीवन-सुरक्षा को महत्व दिया जाए। यही उन्नत बचपन का मार्ग है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव।

भविष्य का नया सारथी: उद्योगों और कृषि को बदलता ड्रोन

साल 2020 के बाद भारत में जिस तकनीक ने सबसे तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसमें ड्रोन प्रमुख है। कभी सेना और सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित रहने वाली यह तकनीक आज खेतों, गांवों, शहरों, अस्पतालों, निर्माण स्थलों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच चुकी है। ड्रोन अब केवल उड़ने वाला कैमरा नहीं, बल्कि विकास, सुशासन, उत्पादकता और नवाचार का नया औजार बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में ड्रोन तकनीक देश के विकास को नई गति देने वाली शक्ति के रूप में उभर रही है। यह तकनीक न केवल समय और लागत बचा रही है बल्कि उन क्षेत्रों तक पहुंच बना रही है जहां पारंपरिक व्यवस्थाएं अक्सर सीमित साबित होती थीं।

भारत सरकार ने 2021 में ड्रोन नियमों को सरल बनाकर इस क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। इसका असर यह हुआ कि देश में ड्रोन स्टार्टअप्स और निर्माण इकाइयों की संख्या तेजी से बढ़ी। वर्तमान में देश में 400 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप सक्रिय हैं। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत का ड्रोन उद्योग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है। इसके साथ ही लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। ड्रोन पायलट, डेटा एनालिस्ट, सर्वे विशेषज्ञ, GIS तकनीशियन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे नए पेशे तेजी से उभर रहे हैं। दरअसल, ड्रोन केवल तकनीक नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम है जो निर्माण, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग और सेवा क्षेत्र को एक साथ जोड़ता है।

भारत की लगभग 46 प्रतिशत कार्यशील आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में यदि किसी तकनीक का सबसे अधिक प्रभाव दिख रहा है तो वह कृषि क्षेत्र है। ड्रोन की मदद

से खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव तेजी से किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के परीक्षण बताते हैं कि ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने पर 75 से 90 प्रतिशत तक समय की बचत होती है। पानी की खपत 30 से 40 प्रतिशत तक कम होती है जबकि रसायनों का उपयोग भी 20 से 30 प्रतिशत तक घट जाता है। एक सामान्य कृषि ड्रोन मात्र 15 से 20 मिनट में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है। यही काम पारंपरिक तरीके से करने में कई घंटे लगते हैं। इसके अलावा मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन किसानों को यह भी बताते हैं कि खेत के किस हिस्से में नमी कम है, कहां पौधे बीमार हैं और किस क्षेत्र में अतिरिक्त पोषण की जरूरत है। यानी खेती अब अनुभव आधारित नहीं बल्कि डेटा आधारित होती जा रही है।

ड्रोन तकनीक ने राजस्व और भूमि प्रबंधन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत देश के 3.18 लाख से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इसके आधार पर 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।

ग्रामीण भारत में भूमि विवाद लंबे समय से सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती रहे हैं। ड्रोन सर्वेक्षण से पहली बार गांवों की संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हुआ है। इससे न केवल विवाद कम होने की संभावना है बल्कि ग्रामीणों को बैंक ऋण और वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में भी मदद मिल रही है।

भारत हर वर्ष बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थितियों में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ड्रोन आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक तस्वीर कुछ ही मिनटों में उपलब्ध करा देते हैं। इससे राहत एजेंसियों को यह समझने में मदद मिलती है कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है और सहायता पहले किस क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हाल के वर्षों में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग, राहत कार्यों की निगरानी और क्षति आकलन में ड्रोन का व्यापक उपयोग किया गया है। जहां पहले कई दिनों में जानकारी एकत्रित होती थी, वहीं अब कुछ घंटों में विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाती है।

ड्रोन तकनीक ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव, धार्मिक आयोजन, बड़े मेले, राजनीतिक सभाएं और वीआईपी कार्यक्रमों में ड्रोन निगरानी अब आम होती जा रही है। पुलिस विभाग भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन घुसपैठ और तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में स्मार्ट निगरानी व्यवस्था का बड़ा हिस्सा ड्रोन आधारित होगा।

पत्रकारिता में ड्रोन ने रिपोर्टिंग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। पहले अवैध खनन, जंगल कटाई, नदी अतिक्रमण, बाढ़ या बड़े निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति को समझना और दिखाना कठिन था। अब ड्रोन कैमरे पूरे क्षेत्र का एरियल व्यू उपलब्ध करा देते हैं।

खोजी पत्रकारिता में ड्रोन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। कई बार प्रशासनिक दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का अंतर ड्रोन फुटेज से स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। इसने जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत किया है।

भारत के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आज भी चुनौती बनी हुई है। कई स्थानों पर सड़क संपर्क कमजोर होने के कारण दवाइयों और रक्त की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती।

ड्रोन इस समस्या का समाधान बन सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों में हुए प्रयोगों ने साबित किया है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयां, वैक्सीन, रक्त और लैब सैंपल तेजी से पहुंचाए जा सकते हैं। भविष्य में यह तकनीक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे सकती है।

हालांकि ड्रोन तकनीक जितनी संभावनाएं लेकर आई है, उतनी ही चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। निजता का अधिकार, डेटा सुरक्षा, साइबर हमले, हवाई यातायात प्रबंधन और अवैध उपयोग जैसे मुद्दे लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। यदि मजबूत नियामक व्यवस्था विकसित नहीं की गई तो तकनीक का दुरुपयोग भी संभव है। इसके अलावा छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक इस तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दस वर्षों में ड्रोन तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के साथ मिलकर और अधिक प्रभावशाली होगी। खेती, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, रक्षा, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ेगी। संभव है कि आने वाले वर्षों में दवाइयों से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से होने लगे।

ड्रोन तकनीक केवल आसमान में उड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह विकास की नई दृष्टि है। आंकड़े बताते हैं कि भारत इस तकनीकी परिवर्तन के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से लेकर पत्रकारिता और सुरक्षा से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में ड्रोन नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज ड्रोन केवल तस्वीरें नहीं बदल रहा बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज की सोच भी बदल रहा है। आने वाले वर्षों में भारत के विकास की सबसे सटीक तस्वीर शायद किसी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते एक ड्रोन की नजर में दिखाई देगी।

अधिकार, सम्मान और समानता: एक साझा भविष्य की ओर कदम

'मैरिटल रेप' अब सिर्फ एक शब्द नहीं, हाल के दिनों में स्त्री अधिकार और उसके विमर्श का केंद्र बन गया है। भारत जैसे उदार देश में एक तरफ तीन तलाक और हालाला जैसी कुप्रथाएं पुरुष के एकाधिकार को साबित करती हैं। वहीं 'मैरिटल रेप' यानी वैवाहिक बलात्कार भी स्त्री अधिकारों का दमन है। यह समाजिक बिद्रुपता और कुरूपता है। इसके पीछे पुरुष एकाधिकार की गंध आती है। महिलाओं को सिर्फ समर्पण, त्याग, दया और ममता की प्रतिमूर्ति समझना कहाँ का न्याय है। स्त्री और पुरुष अर्धनारिश्वर है। दोनों के बिना किसी एक का अस्तित्व नहीं है। आधुनिक युग में जहाँ 'लिव इन रिलेशन' जैसी गैर सामाजिक संस्थाओं का उदय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में सहमति और असहमति के बीच 'सेक्स' स्त्री और पुरुष के बीच द्वंद की दीवार बना है।

वैवाहिक जीवन में 'बलात्कार शब्द' का औचित्य ही नहीं होना चाहिए। विवाह जीवन की पहली सहमति है। वह स्त्री-पुरुष के आपसी समझौते का संस्थागत दस्तावेज है।दोनों के बीच 'दैहिक संतुष्टि' एक प्राकृतिक शाश्वत सत्य है। दैहिक संतुष्टि पर जितना प्राकृतिक अधिकार स्त्री का है उतना ही पुरुष का है। इस सत्य के पीछे सृष्टि संरचना का एक अनूठा संसार भी है। क्या हम ऐसे विवादों को खड़ा कर जीवन संरचना के 'शाश्वत सत्य' को ही मिटाने पर तुले हैं। क्या हम प्राकृतिक सत्य को ही नकारने पर अमादा हैं। वैवाहिक जीवन में 'दैहिक संतुष्टि' स्त्री-पुरुष का प्राकृतिक

अधिकार है। इसे सिर्फ स्त्री विमर्श और उसके अधिकार के रूप में नहीं विश्लेषित किया जाना चाहिए। फिलहाल ऐसी बहस कितनी जायज है जब जीवन की निजी आजादी की आड़ में विवाह पूर्व 'उन्मुक्त सेक्स' की संस्कृति पनप रहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में 'मैरिटल रेप' यानी वैवाहिक बलात्कार का मामला लंबित है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन सरकार इस मामले में अदालत से अभी लंबा वक्त चाहती है। अदालत उसके लिए तैयार नहीं दिखती है, उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जबकि केंद्र सरकार सभी राज्यों और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं से इस पर विमर्श चाहती है। स्त्री-पुरुष संबंधों को लेकर वर्षों पुराना कानून बदले परिवेश में अप्रासंगिक हो चला है। 'मैरिटल रेप' को अपराध घोषित कर दिया गया तो विवाह नाम की संस्था खतरे में पड़ जाएगी। समाज में एक नई तरह की समस्या पैदा हो जाएगी। देश में बलात्कार को लेकर भी तमाम कानून बने हैं उस स्थित में क्या हम बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य पर प्रतिबंध लगा पा रहे हैं। लेकिन हम यह भी नहीं कहते हैं कि स्त्री अधिकारों की रक्षा न हो।फिलहाल इस तरह के कानून से विवाह जैसी संस्था के लिए खतरा बढेगा।

स्त्री-पुरुष के जीवन में 'बलात 'शब्द की कोई जगह ही नहीं है। विवाह कोई 'कांट्रैक्ट' नहीं है। यह जीवन जीने की पद्धति है। जीवन में सब कुछ सेक्स है यह भी गलत है।सेक्स यानी यौन संतुष्टि जीवन का आनंद और सृष्टि का सर्जक है। कुलीन स्त्री-पुरुष के संस्कारित जीवन में सहमति और असहमति की बात ही नहीं पैदा होती। जीवन में तमाम ऐसे वक्त और मोड़ आते हैं जहां सेक्स बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। वैवाहिक संस्था

गौड़ हो जाती है और परिवार प्रथम होता है। यह देश, काल, वातावरण और परिस्थिति जन्य हालात पर निर्भर करता है। संविधान में 'मैरिटल रेप' अपराध की श्रेणी में नहीं है। पुरुष के खिलाफ इस पर किसी सजा का प्रावधान नहीं है। वैवाहिक जीवन में 'सेक्स' जीवन का आनंद है। लेकिन सेक्स में स्त्री और पुरुष की सहमति आवश्यक है। क्योंकि 'यौन संतुष्टि' जीवन की संतुष्टि है। फिर इसमें असहमति का प्रवेश 'मैरिटल रेप' में आता है। इस मुद्दे को एक विवेकशील स्त्री-पुरुष आपस में समझ सकते हैं। अदालत का एक फैसला सिर्फ कानून बन सकता है लेकिन जीवन में साहमति और संतुष्टि नहीं पैदा कर सकता।

वैवाहिक जीवन की सफलता, संतानोत्पत्ति, संतान सुख और विभिन्न बातें जीवन की सफलता के आयाम है।जबकि यौन संतुष्टि स्त्री-पुरुष के सुखमय जीवन और पारिवारिक का परिपथ है। ऐसी स्थिति में हम यौन संतुष्टि को जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। विवाह जैसी पवित्र संस्था में प्रवेश के बाद ही स्त्री-पुरुष का जीवन परिवार नामक की संस्था में प्रवेश करता है। उस संस्था को सृष्टि परिवार नामक संस्था में बदलकर देश और समाज का

निर्माण करती है। स्त्री-पुरुष के जीवन में असहमति तमाम दुष्परिणामों का फल देती है। यौन संतुष्टि के लिए स्त्री को सिर्फ सेक्स की मशीन नहीं समझना चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है संस्कारित जीवन में ऐसी बातें होती भी नहीं हैं।

वैवाहिक जीवन में हमें स्त्री के अधिकार की संपूर्ण रक्षा करनी चाहिए। पुरुष, स्त्री पर एकाधिकार चाहता है। जबकि अब परिवेश बदल गया है स्त्री स्वावलम्बी हो चली है उस हालात में वह पुरुष के एकाधिकार पर खुद को क्यों समर्पित करेगी। जब उसका पति रोज नशे में घर पहुँचता है और खुद की यौनिक संतुष्टि को जीवन की मंजिल मानता हो। उसके लिए स्त्री की भावनाएं और बाल-बच्चे और परिवार की समस्याएं कोई मायने नहीं रखती। हालांकि 'मैरिटल रेप' को अगर अदालत कानूनी मान्यता देती है तो स्त्री अधिकार को कानूनी रक्षा कवच मिल जाएगा, लेकिन इससे समाजिक विद्रूपता फैलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

'मैरिटल रेप' स्त्री-पुरुष के बीच एक मनोविकार है। जीवन में संतुष्टि का आनंद तभी मिलता है जब स्त्री और पुरुष के बीच सहमति होती है। इस तरह की संतुष्टि सेक्स को कई गुना बढ़ाती है। लेकिन असहमति में तमाम विद्वेष और विकारों को जन्म देती है। इस तरह की हरकत से स्त्री की निगाह में पुरुष गिर जाता है। उस स्त्री की नजरों में देवता बना पति दानव बन जाता है। पुरुष को इस तरह के हालातों से बचना चाहिए। वैवाहिक संस्था का यह शर्मनाक पहलू है। जब यौन संतुष्टि यौन हिंसा में बदल जाए तो स्त्री-पुरुष संबंध अच्छे नहीं हो सकते। सफल वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। यौन हिंसा ही तलाक और दूसरे मुद्दों का कारण बनती है।

भारत में 29 फिसदी महिलाएं वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा का शिकार है। गांव और शहर में इसका अंतर साफ-साफ दिख सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के एक आंकड़े अनुसार यौन हिंसा का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों में 32 फिसदी और शहरों में 24 फिसदी महिलाएं वैवाहिक जीवन में यौनिक हिंसा का शिकार हैं। महिलाओं को ऐसी हिंसा से बचने के लिए डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट (घरेलू हिंसा कानून) भी है। दुनिया के 185 देशों में सिर्फ 77 में 'मैरिटल रेप' पर कानून बना है। बाकी 108 देश में 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है। भारत के समेत 34 देशों में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है। आधुनिक परिवेश में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। क्योंकि विवाह नामक संस्था को बनाए रखना भी हमारी सामजिक चुनौती है। हम एक अच्छी स्त्री चाहते हैं, लेकिन हमें एक अच्छा पुरुष भी बनना होगा। अदालत के किसी भी फैसले का असर समाज पर दूरगामी हो सकता है। सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

देश में शिक्षा-परीक्षा का स्तर रसातल की ओर

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के कुल 125 प्रश्नों में से 33 प्रश्न गलत पाए गए हैं। जिस देश की संसद में डिबेट का स्तर पहले ही रसातल में जा चुका है,उस देश मेंऐसा ही कुछ अन्यत्र न हो ,यह कैसे हो सकता है ? न तो संसद को नहीं चलने देने के लिए हुड़दंगी सांसदों को कोई सजा दी जा रही है,और न ही शिक्षा-परीक्षा का बंटाढार करने वालों को सबक सिखाने लायक सजा मिल रही है। सफाई ऊपर से हो तभी वह कारगर होगी।

बात सिर्फ संसद या यू.पी.का नहीं है ।पूरे देश का यही हाल है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाईकोर्ट जज के निर्णय पर यह टिप्पणी की थी कि इस केस से संबंधित जज को कानून की समझ नहीं है ।एक अन्य हाईकोर्ट में एक पुलिस आई.ओ. को यह कहते हुए सुना गया कि अंग्रेजी नहीं जानने के कारण मुझसे गलती हो गयी।

आज के दैनिक जागरण में राजीव सचान ने लिखा है कि ''इसी 13 जुलाई को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। यह एक नया छह लेन का एलिवेटेड मार्ग है। इसकी लागत 4200 करोड़ रुपए थी। उद्घाटन के बाद से यह मार्ग अलग-अलग जगहों पर कम से कम पांच बार धंस चुका है।'' सवाल है कि क्या निर्माण में गुणवत्ता की कमी है या इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का स्तर घटिया हो चुका है ? कुछ साल पहले ही एक उद्योगपति ने कहा था कि इस देश में जितने इंजीनियर पास होकर निकल रहे हैं,उनमें से सिर्फ 27 प्रतिशत इंजीनियर ही इतने योग्य हैं जिन्हें मैं काम पर रख सकता हूं। हाल में एक खबर आई कि एक मरीज के हाथ का ऑपरेशन हुआ था,उस छोटे ऑपरेशन में ही मरीज की जान चली गई। क्या सिर्फ नीट परीक्षा में ही चोरी होती है या मेडिकल कॉलेजों की सामान्य कक्षाओं की पढ़ाई में ही कोई खामी है ? उनकी वार्षिक परीक्षा की स्वच्छता का क्या हाल हैं ? इस तरह की अनेक खबरें समय -समय पर आती रहती हैं। आखिर स्तरहीनता की इस महामारी से यह देश कैसे मुक्त हो पाएगा ? यह तो कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक नजर आता है। क्या यह एडवांस स्टेज का कैंसर है ? संसद में आए दिन जारी हंगामे को तो आप लोकतंत्र में लगा एडवांस स्टेज का कैंसर रोग आसानी से कह ही सकते हैं क्योंकि वह तो लाइलाज नजर आता है। संसद के इस दृश्य को देखकर नयी पीढ़ी लोकतंत्र के प्रति अपनी कैसी राय बना रही होगी?

स्नेह और अटूट विश्वास का पावन पर्व: रक्षाबंधन

रक्षाबंधन केवल रेशम के धागों का त्योहार नहीं है; यह भारतीय संस्कृति की उस महान चेतना का प्रतीक है जो रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा और नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के आपसी प्रेम से कहीं आगे बढ़कर पूरे समाज को सद्भाव, सुरक्षा और आत्मीयता के सूत्र में बांधता है। बदलते दौर में इस त्योहार के तौर-तरीके भले ही आधुनिक हुए हों, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी उतनी ही जीवंत है।

ऐतिहासिक और पौराणिक गहराई

'रक्षाबंधन' का शाब्दिक अर्थ है— "रक्षा का बंधन"। इस पर्व की जड़ें हमारे इतिहास और पुराणों में बहुत गहरी हैं। मध्यकालीन इतिहास में चित्तौड़ की रानी कर्णावती द्वारा सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगने की कथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह धागा धर्म, जाति और सीमाओं की दीवारों को तोड़कर मानवता की रक्षा करने का हौसला देता है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि रक्षाबंधन केवल सगे भाई-बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की रक्षा का संकल्प है जिसे हमारी जरूरत है।

आधुनिक संदर्भ और बदलता स्वरूप

आज के डिजिटल युग में व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। अब बहनें मीलों दूर बैठे भाइयों को 'ई-राखी' भेजती हैं और भाई वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहते हैं। उपहारों का स्वरूप भी अब पारंपरिक मिठाई से बदलकर डिजिटल गैजेट्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गया है। इस

आधुनिकता के बीच एक सुंदर बदलाव यह भी आया है कि आज की पीढ़ी इसे व्यापक रूप दे रही है। अब बहनें एक-दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हुए आपस में भी राखी बांधती हैं। कई जगहों पर लोग प्रकृति की रक्षा के लिए पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो कहीं देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों और पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है।

इस आधुनिक समय में रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश 'समानता और सम्मान' का है। आज भाइयों को यह समझना होगा कि बहन की 'रक्षा' का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि उसके सपनों, उसकी स्वतंत्रता और उसकी आत्मनिर्भरता का सम्मान करना भी है। रेशम का यह साधारण सा धागा जब कलाई पर सजता है, तो एक गहरे उत्तरदायित्व का अहसास कराता है। आइए, इस रक्षाबंधन पर हम समाज में आपसी विश्वास, सौहार्द और हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करने का एक पवित्र संकल्प लें।

डाक टिकट

पता